



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भारिबै/2012-13/97

संदर्भ मौनीवि. सं. 356 /07.01.279/2012-13

2 जुलाई 2012

11 आषाढ 1934 (शक)

सभी अनुसूचित बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
(ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय,

निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा संबंधी मास्टर परिपत्र

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र सं.एमपीडी सं. 345 /07.01.279/2011-12 देखें। इस निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के मास्टर परिपत्र में 30 जून 2012 तक जारी किये गये सभी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों को समेकित और अद्यतन किया गया है। इस विषय के संबंध में जारी सभी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों को परिशिष्ट में अलग से दर्शाया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (<http://www.rbi.org.in>) पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,

(जनक राज)
प्रभारी परामर्शदाता

अनु: यथोक्त

निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा संबंधी मास्टर परिपत्र

विषय - सूची

पैरा/ मद सं.	विषय	पेज सं.
1.	परिचय	3
2.	पात्र संस्थाएं	3
3.	सीमा	3
4.	ब्याज दर	3
5.	मार्जिन अपेक्षा	3
6.	अवधि	3
7.	संपार्श्विक (कोलैटरल)	4
8.	न्यूनतम उपलब्ध रशि	4
9.	प्राप्ति का स्थान	4
10.	दण्ड	4
11.	प्रलेखीकरण	4
12.	रिपोर्टिंग - अपेक्षाएं	5
13.	शर्त	5
14.	अनुबंध	5
15.	परिशिष्ट	5
अनुबंध I	परिभाषाएं	6
अनुबंध II	करार का फॉर्म	7
अनुबंध III	रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स	13
परिशिष्ट	परिपत्रों की सूची	16

निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा संबंधी मास्टर परिपत्र

1. परिचय

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17 (3क) के अंतर्गत बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराता है। यह सुविधा पोतलदान-पूर्व और पोतलदानोत्तर, दोनों चरणों पर बैंकों की पात्र बकाया रुपया निर्यात ऋण राशि के आधार पर दी जाती है। पुनर्वित्त की मात्रा भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति के रुख के आधार पर समय-समय पर निर्धारित की जाती है।

2. पात्र संस्थाएं

2.1 (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) वे सभी अनुसूचित बैंक जो विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी हैं और जिन्होंने निर्यात ऋण दिया है, निर्यात ऋण पुनर्वित्त का लाभ उठाने के पात्र हैं।

3. सीमा

3.1 वर्तमान में अनुसूचित बैंकों को दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत की स्थिति के अनुसार पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण के 50.0 प्रतिशत तक निर्यात ऋण पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। निर्यात क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने की दृष्टि से, 30 जून 2012 से प्रारंभ पखवाड़े से यह सीमा 15.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 50.0 प्रतिशत की गई है। पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण की परिभाषा अनुबंध I में दी गई है।

4. ब्याज दर

4.1 निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा समय-समय पर घोषित चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर पर उपलब्ध है।

4.2 ब्याज मासिक अंतरालों पर देय होगा और दैनिक शेष-राशियों (डेली बैलेंस) पर गणना की गई ब्याज की यह राशि, संबंधित महीने के अंत में अथवा पहले, जब बकाया शेष का निपटान हो जाए, बैंकों के चालू खाते (करेंट अकाउंट) में डेबिट की जाएगी।

5. मार्जिन-अपेक्षा

5.1 कोई मार्जिन रखने की आवश्यकता नहीं है।

6. अवधि

6.1 ईसीआर मांग पर अथवा निर्धारित अवधि के समाप्त होने पर, जो एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं होगी, देय है।

7. संपार्श्विक (कोलेटरल)

7.1 भारिबैं, बैंकों के मांग वचन पत्र (डीपीएन) पर निर्यात ऋण पुनर्वित्त प्रदान करता है। मांग वचन पत्र के साथ इस आशय की घोषणा होनी चाहिए कि उन्होंने निर्यात ऋण दिया है एवं पुनर्वित्त के लिए बकाया राशि भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये ऋण/अग्रिम से कम नहीं है।

8. न्यूनतम उपलब्ध राशि

8.1 इस सुविधा के अंतर्गत न्यूनतम उपलब्ध राशि एक लाख रुपये है और न्यूनतम से अधिक की राशि एक लाख रुपये के गुणजों में होगी।

9. प्राप्ति का स्थान

9.1 रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग वाले केंद्रों पर यह सुविधा प्राप्त की जा सकती है।

10. दण्ड

10.1 निर्यात ऋण पुनर्वित्त की प्राप्ति में अनियमितता बरतने वाले अनुसूचित बैंक के मामले में, बकाया ऋण अथवा ऋणों पर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दंडात्मक दर पर ब्याज वसूल किया जाएगा।

10.2 निर्यात ऋण पुनर्वित्त की प्राप्ति में अनियमिता बरतने पर लागू दण्डात्मक दर वाली दृष्टांतपरक (परंतु संपूर्ण नहीं) उदाहरणों की एक सूची नीचे दी गई है:

- ए) कुल सीमा से अधिक निर्यात ऋण पुनर्वित्त का उपयोग
- बी) बैंकों द्वारा पुनर्वित्त सीमा की गलत गणना/रिपोर्टिंग
- सी) 180 दिनों के भीतर पुनर्वित्त की चुकौती न करना
- डी) बैंकों द्वारा अधिक उपयोग किये जाने की रिपोर्टिंग में विलंब।

11. प्रलेखीकरण (डॉक्यूमेंटेशन)

11.1 बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का निष्पादन करना होता है : (अनुबंध II)

- ए) फॉर्म सं.डीएडी 297 में मुद्रांकित करार (स्टैंड एग्रीमेंट)
- बी) फॉर्म सं.डीएडी 295 ए में एक मांग वचन पत्र (डीपीएन)
- सी) फॉर्म सं.डीएडी 298 में बोर्ड का संकल्प जिसमें इस योजना के अंतर्गत उधार लेने को एवं बैंक की ओर से ऋण दस्तावेजों का निष्पादन करने वाले अधिकारियों को भी प्राधिकृत किया गया हो।

डी) सीमा बढ़ाने के लिए, नयी सीमा के लिए समेकित मांग वचन पत्र (डीपीएन) के साथ करार के रूप में स्टैंप किया जाने वाले फॉर्म सं.डीएडी 299 में एक पत्र जिसमें सीमा बढ़ाने के लिए, करार में विस्तार किया गया हो।

उधार लेने वाला बैंक, फॉर्म नंबर. डीएडी.389 (अनुबंध III) में पाक्षिक घोषणा प्रस्तुत करेगा ताकि रिज़र्व बैंक यह देख सके कि योजना के तहत बकाया निर्यात ऋण अग्रिमों की तुलना में बकाया उधारियों की क्या स्थिति है।

ई) बैंकिंग विभाग के मैनुअल के पैराग्राफ 7.30 के अनुसार, , करार व सीमा में विस्तार के पत्रों के नवीकरण की तब तक कोई आवश्यकता नहीं जब तक उनके शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव न हो। तथापि, उधार खाते में बकाया चाहे जितना हो, उधारकर्ता बैंक द्वारा दिए गए मांग वचन पत्रों का, उनके निष्पादन की तारीखों से तीन वर्ष के भीतर, नवीकरण किया जाना चाहिए।

12. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

12.1 पुनर्वित्त का लाभ उठाने वाले बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि, वे अनुबंध III में दिये गये फॉर्मेट में, संबंधित तारीख से पाँच दिन के भीतर पुनर्वित्त के लिए पात्र अपने बकाया निर्यात ऋण की रिपोर्ट करें।

13. शर्त

13.1 यह आवश्यक है कि किसी बैंक द्वारा लिया गया जितना उधार बकाया हो, वह उसके बराबर, पात्र पोत-लदानपूर्व अग्रिमों की राशि के निर्यात बिल/राशि (जैसा कि उनके नवीनतम घोषणापत्र में बताया गया हो), हमेशा अपने पास रखे। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि बैंकों द्वारा धारित बिलों की कुल राशि/घोषणा पत्र में उल्लिखित पात्र पोत-लदानपूर्व अग्रिमों की राशि उधार ली गई राशि से कम है तो भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये अतिरिक्त पुनर्वित्त का समायोजन/उसकी चुकौती बैंकों द्वारा तुरंत की जानी चाहिए।

14. अनुबंध

14.1 निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा से संबंधित परिभाषाएं, करार के फॉर्म और रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्रमशः अनुबंध I, अनुबंध II और अनुबंध III में दिए गए हैं।

15. परिशिष्ट

15.1 निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी परिपत्र परिशिष्ट में दिए गए हैं।

अनुबंध I

परिभाषाएं

इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- I. "पखवाड़े" का आशय शनिवार से लेकर दूसरे अनुवर्ती शुक्रवार की अवधि से है जिसमें दोनों दिन शामिल हैं।
- II. "अनुसूचित बैंक" से आशय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक है।
- III. "निर्यात बिल" का आशय यह है कि उधारकर्ता बैंक द्वारा साखपत्रों के अंतर्गत अथवा अन्यथा खरीदे गये/तयशुदा/भुनाये गये ऐसे सभी निर्यात बिल, जिनकी मीयाद 180 दिन से अधिक की नहीं है, जो भारत में, अथवा भारत से बाहर किसी ऐसे देश में आहरित हों जो अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का सदस्य हो, अथवा ऐसे देश में जिसका नाम भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत के राजपत्र में इस प्रयोजन हेतु अधिसूचित किया हो, उस बैंक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणापत्र में शामिल करने के लिए पात्र समझे जाएंगे।
- IV. "पोत-लदानपूर्व ऋण" का आशय ऐसे ऋण से है जो बैंकों द्वारा वास्तविक निर्यातकों को, स्थानीय निर्यातक के पक्ष में विदेश में प्रतिष्ठित बैंकों द्वारा स्थापित साख पत्रों के आधार पर अथवा निश्चित निर्यात आदेश के आधार पर दिया जाता है और उधारकर्ता बैंक यह सुनिश्चित करे कि संबद्ध दस्तावेज उसके पास जमा करा दिये गये हैं।
- V. "पुनर्वित्त के लिए पात्र निर्यात ऋण" का आशय दूसरे पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को कुल बकाया निर्यात ऋण से है जिसमें से, निम्नलिखित को घटा दिया गया हो: विदेशी मुद्रा में पोत-लदानपूर्व ऋण (पीसीएफसी), 'विदेश में निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई' (ईबीआर) की योजना के अंतर्गत भुनाये गये/पुनःभुनाये गये निर्यात बिल, अतिदेय रुपया निर्यात ऋण तथा पुनर्वित्त के लिए अपात्र अन्य निर्यात ऋण, अन्य बैंकों/एक्ज़िम बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पास पुनः भुनाये गये निर्यात बिल और निर्यात ऋण, जिसके आधार पर नाबार्ड/एक्ज़िम बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त किया गया है।

अनुबंध II

करार का फॉर्म

डीएडी 297

पैरा 7.50

माल के निर्यात के लिए बैंक-वित्त के संबंध में उधार लेने हेतु अनुसूचित बैंक के प्रधान कार्यालय से प्राप्त किये जाने वाले करार का फॉर्म (प्रत्येक राज्य में लागू कानून अनुसार करार के रूप में मुद्रांकित किया जाए)

भारतीय रिज़र्व बैंक

महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17 (3 ए) के अंतर्गत और दिनांक 20 जनवरी 1969 के परिपत्र डीबीओडी सं.बीएम.78/सी. 297 (एम) - 69 के साथ संलग्न ज्ञापन में निहित शर्तों पर समय-समय पर आपके विवेकानुसार अग्रिम देने के लिए आपके सहमत होने पर, जो अग्रिम किसी भी अवसर पर रु. _____ (ब्याज को छोड़कर) से अधिक नहीं होंगे, जिसके लिए हमने यहाँ इसके बाद उल्लिखित दर से ब्याज वाला, आपके पक्ष में लिखा हुआ एक मांग वचन-पत्र आपको सुपुर्द किया है। अग्रिम मांग पर प्रतिदेय होंगे एवं आपके द्वारा निर्धारित फार्मों में घोषणा के आधार पर दिए जाएंगे। हम निम्नानुसार सहमत हैं :

- (1) उक्त अग्रिमों की किसी भी समय बकाया शेष राशि मांगने पर हमारे द्वारा आपको प्रतिदेय हेगी ।
- (2) इस करार के अंतर्गत अग्रिमों के प्रत्येक आहरण की परिपक्वता अवधि 180 दिन से अधिक की नहीं होगी एवं वह उक्त अवधि के भीतर हमारे द्वारा प्रतिदेय होगा ।
- (3) हमारे द्वारा आपको देय ब्याज मासिक अंतरालों पर, समय-समय पर आपके द्वारा अधिसूचित दर पर होगा और दैनिक शेष राशियों पर गणना किये गये इस प्रकार के ब्याज की राशि प्रत्येक संबंधित महीने के अंत में अथवा पहले, जब बकाया शेष राशि चुकता हो जाती है, उक्त अग्रिमों के खाते में नामे डाल दी जाए। इस बात का आपको अधिकार होगा कि आप अपने पास रखे गये हमारे चालू खाता में से इस प्रकार की नामे डाली गई ब्याज की राशि की स्वयं प्रतिपूर्ति कर सकेंगे ।
- (4) हम इस बात से सहमत हैं कि यहाँ दिये गये खंड (1) और (2) की शर्तों के अंतर्गत राशि की चुकौती में कोई चूक होने की स्थिति में, आप ऐसा करने के लिए किसी बाध्यता के बिना, उक्त अधिनियम की धारा 17 (3ए) के अनुसार, मंजूर किये गये अग्रिम ऋण की राशि में से, हमारे द्वारा देय राशि को आपके पास रखे गये हमारे चालू खाते में नामे डाल सकते हैं।

(5) हम इस बात से सहमत हैं और वचन देते हैं कि निर्यातकों अथवा पुनर्वित्त के लिए पात्र अन्य व्यक्तियों को भारत से बाहर माल भेज जा सकने के लिए हमारे द्वारा मंजूर किये गये और किसी भी समय आहरित एवं बकाया ऋण अथवा अग्रिम हमारे द्वारा आपसे लिये गये ऋण अथवा अग्रिम की बकाया राशि से कम नहीं होंगे। इसके अलावा, हम इस बात से भी सहमत हैं कि आपके पक्ष में ऐसा मार्जिन बनाये रखेंगे जो आप समय-समय पर निर्धारित करेंगे ताकि उसमें निर्धारित मार्जिन में कमी होने पर, हम आपके द्वारा मांग किए जाने पर तुरंत नकद भुगतान द्वारा आपको देय शेष राशि में कमी कर देंगे ताकि अपेक्षित मार्जिन की राशि रखी जा सके।

(6) हम इस बात से भी सहमत हैं कि इन अग्रिमों के जारी रहते हुए जब भी कभी आप द्वारा मांग की जाएगी, पुनर्वित्त के लिए पात्र वस्तुओं के निर्यात के संबंध में हमारे द्वारा दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि के बारे में तथा उधारकर्ताओं की ऋण-चुकौती-क्षमता के बारे में आपके द्वारा निर्धारित किये अनुसार सत्य रिपोर्टें आपको प्रस्तुत की जाएंगी तथा इस प्रकार के किसी उधारकर्ता की स्थिति में किसी ऐसे परिवर्तन के बारे में, जो हमारी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) को पर्याप्त रूप से प्रभावित करने वाला समझा जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा।

(7) हम एतद्वारा ऐसे दस्तावेज आपकी मांग पर आपके पक्ष में निष्पादित करने के लिए सहमत हैं जिससे पुनर्वित्त के लिए पात्र वस्तुओं के निर्यात के संबंध में हमारे द्वारा दिये गये अग्रिमों के रूप में हमारे वही ऋण समग्र रूप से आपके प्रभार में आ जाए अथवा आपके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) आपके कब्जे में रहे ताकि वह किसी भी समय आपके द्वारा बेची जा सके अथवा अंतरित की जा सके।

(8) हम निम्नलिखित मामलों में सहमत हैं और वचन देते हैं कि आप द्वारा निर्धारित उच्चतर दर पर ब्याज अदा करेंगे; जहाँ

(ए) अनुमत सीमा से अधिक निर्यात ऋण पुनर्वित्त का उपयोग किया गया हो,

(बी) पुनर्वित्त सीमाओं की गणना अथवा रिपोर्टिंग गलत ढंग से की गई हो,

(सी) हमारे खाते में पर्याप्त निधि नहीं होने के कारण 180 दिन से अधिक

की अवधि तक निकसियां (ड्राअल्स) बकाया रही हो,

(डी) विलंब की अवधि के लिए, हमारे द्वारा अधिक अथवा अनियमित उपयोग के बारे में रिपोर्ट करने में अधिक विलंब किया गया हो।

(9) हम इस बात से भी सहमत हैं कि यह करार और रु. _____ का उक्त मांग वचन पत्र किसी भी समय जमा-शेष की स्थिति अथवा किसी आंशिक भुगतान अथवा खातों में घट-बढ़ अथवा प्रतिभूति के किसी भाग के वापस ले लिए जाने के बावजूद उक्त अग्रिम के लिए एक निरंतर जमानत के रूप में कार्य करेगा।

भवदीय

_____ के लिए और की ओर से
(अनुसूचित बैंक का नाम)
(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
(पदनाम)

स्थान:

दिनांक:

(पत्रशीर्ष पर)

मांग वचन पत्र

(निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा)

मांगे जाने पर, हम (बैंक का नाम), भारतीय रिज़र्व बैंक को, या आदेश पर रु. _____
(रुपये _____) प्राप्त मूल्य के लिए, पूर्ण चुकौती के समय
अथवा मासिक अंतरालों पर, जो भी पहले होगा, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के लिए
यथा घोषित रिपो दरों पर ब्याज सहित अदा करने का वचन देते हैं।

_____ के लिए और की ओर से

स्थान :

दिनांक :

(2 हस्ताक्षरी और रसीदी टिकट)
दोनों हस्ताक्षरियों के नाम और पदनाम

निदेशक मंडल के संकल्प का नमूना

बोर्ड की ----- को आयोजित बैठक में पारित बोर्ड संकल्प सं. -----
- की एक प्रति

“संकल्प किया जाता है कि

- (i) बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17 (3ए) के तहत निर्यात बिल ऋण योजना और/अथवा पोत-लदानपूर्व ऋण योजना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर लागू की जाने वाली शर्तों पर तथा अनुमोदित सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण ले;
- (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक से उपर्युक्त सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक करार, ऋण दस्तावेज, घोषणाएं, विवरण तथा प्रमाणपत्र तथा अन्य ऐसे लिखत और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में मांगे जाने वाले दस्तावेजों को बैंक की ओर से निष्पादित करने और प्रस्तुत करने के लिए बैंक के निम्नलिखित अधिकारियों को एतद्वारा अलग-अलग प्राधिकृत किया जाता है।

फॉर्म 'डी'

डी ए डी- 299

दिनांक :

भारतीय रिज़र्व बैंक
जमा लेखा विभाग
मुंबई - 400 001

प्रिय महोदय

दिनांक -----के करार के संदर्भ में उसमें विनिर्दिष्ट रु. -----
(रुपये -----) को बढ़ाकर रु.------(रुपये -----
-----) की एक नयी सीमा के लिए आपके सहमत होने पर, जिस राशि के लिए
मासिक अंतरालों पर देय ----- वार्षिक ब्याज दर वाला एक समेकित मांग वचन - पत्र हमने आपको
दिया है, हम इस बात से सहमत हैं कि उक्त करार की सभी शर्तें नयी सीमा पर तथा उसके संबंध में रु.---
------(रुपये -----) के समेकित मांग वचन पत्र और उसके अंतर्गत
दिये गये अग्रिमों पर उसी रूप में लागू होंगी जैसी कि वे रु.------(रुपये -----
- की सीमा पर और उसके संबंध में मांग वचन पत्र और उसके अंतर्गत दिये गये अग्रिमों पर लागू होती है।

भवदीय,

के लिए और की ओर से
(अनुसूचित बैंक का नाम)

अनुबंध III

रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स

फार्म डीएडी 389

बैंक का नाम _____

-----को समाप्त पखवाड़े के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा दर्शानेवाला विवरण

भाग ए

(लाख रु.में)

1. दूसरे पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति
के अनुसार बकाया निर्यात ऋण*

2. निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा (मद सं.1 का 50 प्रतिशत)

* पुनर्वित्त सीमाओं की गणना के प्रयोजन के लिए कुल बकाया निर्यात ऋण में से निम्नलिखित को घटाकर
बकाया निर्यात ऋण प्राप्त किया जाए:

अन्य बैंकों/निर्यात-आयात बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पास भुनाये गये निर्यात बिल,

निर्यात ऋण, जिसके आधार पर नाबार्ड/निर्यात-आयात बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त किया गया है,

विदेशी मुद्रा में पोत-लदानपूर्व ऋण (पीसीएफसी),

'विदेश में निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई' की योजना के अंतर्गत भुनाए गये/पुनः भुनाये गये निर्यात बिल,

अतिदेय रुपया निर्यात ऋण

तथा अन्य निर्यात ऋण जो पुनर्वित्त हेतु पात्र नहीं है।

<u>भाग - बी</u>	
<u>@की स्थिति के अनुसार कुल बकाया निर्यात ऋण</u>	
(लाख रु. में)	
1.	कुल बकाया निर्यात ऋण
	जिसमें से -
	(i) अन्य बैंकों/निर्यात-आयात बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पास पुनर्भुनाये गये (रिडिस्काउंटेड) निर्यात बिल
	(ii) निर्यात ऋण, जिसके आधार पर नाबार्ड/निर्यात-आयात बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त किया गया है
	(iii) विदेशी मुद्रा में पोत-लदानपूर्व ऋण (पीसीएफसी)
	(iv) 'विदेश में निर्यात-बिलों की पुनर्भुनाई' योजना के अंतर्गत भुनाये गये/पुनर्भुनाये गये निर्यात बिल
	(v) अतिदेय रुपया निर्यात ऋण
	(vi) उपर्युक्त ((i) से (v) तक) हिसाब में न लिया गया और निर्यात ऋण जो पुनर्वित्त हेतु पात्र नहीं है। *
2.	पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण मद 1 में से <u>घटाएं</u> {(i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v) + (vi)}

@ दूसरे पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कुल बकाया निर्यात ऋण।

* उदा. 180 दिन से अधिक में परिपक्व होने वाले सभी रुपया निर्यात ऋणों के लिए, बकाया राशि को मद 1(vi) के सामने दर्शाया जाना चाहिए।

भाग - सी

@ की स्थिति के अनुसार बकाया निर्यात ऋण

(लाख रु. में)

1. पोत-लदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण **

(i) 180 दिन तक _____

(ii) 180 दिन से अधिक _____

जोड़ (i+ii)

2. पोत-लदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण ** _____

(iii) 180 दिन तक _____

(iv) 180 दिन से अधिक _____

जोड़ (iii+iv)

3. कुल रुपया निर्यात ऋण (1+2) _____

** अतिदेय राशियों को मिलाकर

परिशिष्ट

परिपत्रों की सूची

क्र.सं.	परिपत्र सं.	विषय
1.	बैंपविवि.सं.बीएम 2732/सी.297/के-63; दिनांक 13 मार्च 1963	निर्यात बिल ऋण योजना
2.	बैंपविवि. सं. बीएम.78/सी.297(एम)- 69; दिनांक 20 जनवरी 1969	पोत-लदानपूर्व ऋण का पुनर्वित्त
3.	बैंपविवि.सं.बी.एम.931/सी.297पी-69; दिनांक 9 जून 1969	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(3ए) के अंतर्गत पुनर्वित्त - पोत-लदानपूर्व ऋण योजना
4.	सीपीसी.सं. बीसी. 45/279ए-81; दिनांक 18 मार्च 1981	निर्यात पुनर्वित्त
5.	सीपीसी.सं.बीसी.46/279ए-81; दिनांक 27 मई 1981	निर्यात ऋण पुनर्वित्त पर ब्याज दर
6.	सीपीसी.सं.बीसी. 60/279ए-82; दिनांक 25 अक्तूबर 1982	निर्यात ऋण पुनर्वित्त पर ब्याज दर में परिवर्तन
7.	सीपीसी.सं.बीसी.64/279ए-83 ; दिनांक अक्तूबर 1983	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
8.	सीपीसी.सं.बीसी.77/279ए-85; दिनांक 25 अक्तूबर 1985	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
9.	सीपीसी.सं.बीसी.79/279ए-86; दिनांक 1 अगस्त 1986	निर्यात ऋण पुनर्वित्त - ब्याज दर में परिवर्तन
10.	सीपीसी.सं.बीसी.91/279ए-88; दिनांक 2 अप्रैल 1988	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
11.	सीपीसी.सं.बीसी. 98/279ए-88; दिनांक 27 मार्च 1989	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
12.	सीपीसी.सं.बीसी.103/279ए-90; दिनांक 12 अप्रैल 1990	निर्यात ऋण पुनर्वित्त

क्र.सं.	परिपत्र सं.	विषय
13.	सीपीसी.सं.बीसी.111/279ए-91; दिनांक 12 अप्रैल 1991	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
14.	सीपीसी.सं. बीसी.115/279ए-91; दिनांक 03 सितंबर 1991	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
15.	सीपीसी.सं.बीसी.116/279ए- 91; दिनांक 8 अक्तूबर 1991	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
16.	सीपीसी.सं. बीसी.122/279ए- 92; दिनांक 21 अप्रैल 1992	निर्यात ऋण पुनर्वित्त पर ब्याज दरें (रुपया) और पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण के लिए अमरीकी डॉलर में पुनर्वित्त
17.	सीपीसी.सं.बीसी.123/279ए-92; दिनांक 23 अप्रैल 1992	निर्यात ऋण पुनर्वित्त (रुपया) तथा अमरीकी डॉलर में पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण पर पुनर्वित्त
18.	सीपीसी.सं.बीसी.129/07.01.279/92-93; दिनांक 7 अप्रैल 1993	निर्यात ऋण पुनर्वित्त (रुपया) तथा अमरीकी डॉलर में पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण पर पुनर्वित्त
19.	सीपीसी.सं.बीसी. 132/07.01.279/93-94; दिनांक 11 अक्तूबर 1993	निर्यात ऋण पुनर्वित्त (रुपया) तथा अमरीकी डॉलर में पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण पर पुनर्वित्त
20.	सीपीसी.सं.बीसी.136/07.01.279/93-94; दिनांक 14 मई 1994	निर्यात ऋण पुनर्वित्त (रुपया) तथा अमरीकी डॉलर में निर्दिष्ट पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण पर पुनर्वित्त
21.	सीपीसी.सं.बीसी.144/07.01.279/94-95; दिनांक 17 अप्रैल 1995	मीयादी जमा राशियों पर ब्याज दर
22.	सीपीसी.सं. 3559/03.02.15/94-95; दिनांक 20 अप्रैल 1995	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
23.	शबैवि.डीएस.एसयूबी.सीआइआर. 3/13.04.00/95-96; दिनांक 7 फरवरी 1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें

क्र.सं.	परिपत्र सं.	विषय
24.	सीपीसी.सं.2101/03.02.01/95-96; दिनांक 15 जनवरी 1996	अमरीकी डॉलर में पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण पर पुनर्वित्त
25.	सीपीसी /03.02.01/95-96; दिनांक 7 फरवरी 1996	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
26.	सीपीसी.सं. 3466/03.02.01/95-96; दिनांक 4 अप्रैल 1996	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
27.	औनिऋवि. सं.10/04.02.01/96-97; दिनांक 19 अक्तूबर 1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें -पोतलदानोत्तर रुपया ऋण
28.	सीपीसी.सं. 1067/03.02.01/96-97; दिनांक 23 अक्तूबर 1996	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
29.	सीपीसी.सं.2652/03.02.01/96-97; दिनांक 21 अप्रैल 1997	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
30.	मौनीवि. सं.2035/03.02.01/97-98; दिनांक 16 जनवरी 1998	रिज़र्व बैंक पुनर्वित्त
31.	सीपीसी.सं.2662/03.02.01/97-98; दिनांक 18 मार्च 1998	भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधाओं पर ब्याज दरें
32.	मौनीवि.सं. 2932/03.02.01/97-98; दिनांक 2 अप्रैल 1998	भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधाओं पर ब्याज दरें
33.	मौनीवि. सं. 3121/03.02.01/97-98; दिनांक 29 अप्रैल 1998	भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधाएं
34.	मौनीवि.बीसी.सं. 177/07.01.279/97-98; दिनांक 11 जून 1998	निर्यात ऋण पर ब्याज दर
35.	मौनीवि.49/03.02.01/98-99; दिनांक 8 जुलाई 1998	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
36.	मौनीवि.बीसी.सं. 179/07.01.279/98-99; दिनांक 6 अगस्त 1998	निर्यात ऋण और निर्यात ऋण पुनर्वित्त पर ब्याज दरें

क्र.सं.	परिपत्र सं.	विषय
37.	मौनीवि.सं. 1018/03.02.01/98-99; दिनांक 15 अक्तूबर 1998	निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं को दर्शाने वाला पाक्षिक विवरण
38.	मौनीवि.बीसी.सं. 182/07.01.279/98-99; दिनांक 1 मार्च 1999	बैंक दर और निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा
39.	मौनीवि.बीसी.सं. 184/07.01.279/98-99; दिनांक 1 मार्च 1999	निर्यात ऋण और निर्यात ऋण पुनर्वित्त पर ब्याज दरें
40.	मौनीवि. 3278/03.02.01/99-2000; दिनांक 1 अप्रैल 2000	निर्यात ऋण पुनर्वित्त और संपार्श्विकृत उधार सुविधाओं पर ब्याज दरें
41.	मौनीवि. 3538/03.02.01/99-2000 27 अप्रैल 2000	उदारीकृत निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा
42.	मौनीवि.बीसी. 198/07.01.279/2000-01; दिनांक 21 जुलाई 2000	बैंक रेट
43.	मौनीवि.बीसी.सं.200/07.01.279/2000-01; दिनांक 21 जुलाई 2000	निर्यात ऋण पुनर्वित्त और संपार्श्विकृत उधार सुविधा
44.	मौनीवि. 2992/03.02.01/2000-01; दिनांक 21 जुलाई 2000	स्थायी चलनिधि सुविधा योजना
45.	मौनीवि. 3115/03.02.01/2000-01; दिनांक 30 अप्रैल 2001	स्थायी चलनिधि सुविधा योजना
46.	मौनीवि.बीसी.सं.213/02.01.279/2001-02; दिनांक 18 मार्च 2002	निर्यात ऋण पुनर्वित्त योजना
47.	मौनीवि.बीसी. सं. 223/07.01.279/2002-03; दिनांक 29 अक्तूबर 2002	निर्यात ऋण पुनर्वित्त योजना
48.	मौनीवि.बीसी.सं.232/07.01.279/2002-03; दिनांक 29 अप्रैल 2003	निर्यात ऋण पुनर्वित्त योजना

क्र.सं.	परिपत्र सं.	विषय
49.	मौनीवि.बीसी.सं.243/07.01.279/2003-04; दिनांक 5 नवंबर 2003	स्थायी सुविधाओं का युक्तिकरण
50.	मौनीवि.बीसी.सं.246/07.01.279/2003-04; दिनांक 25 मार्च 2004	बैंकों के लिए निर्यात ऋण और प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएं: युक्तिकरण
51.	मौनीवि.बीसी.सं.247/07.01.279/2003-04; दिनांक 7 अप्रैल 2004	निर्यात ऋण के लिए बैंकों को स्थायी चलनिधि सुविधाएं: युक्तिकरण
52.	मौनीवि.बीसी.सं.252/07.01.279/2004-05; दिनांक 3 जुलाई 2004	निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा संबंधी मास्टर परिपत्र
53.	मौनीवि.बीसी.सं.270/07.01.279/2005-06; दिनांक 01 जुलाई 2005	निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा संबंधी मास्टर परिपत्र
54.	मौनीवि.बीसी.सं.275/07.01.279/2005-06; दिनांक 1 अक्टूबर 2005	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएं
55.	मौनीवि.बीसी.सं.278/07.01.279/2005-06; 24 जनवरी 2006	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएं
56.	मौनीवि.बीसी.सं.281/07.01.279/2005-06; दिनांक 9 जून 2006	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
57.	मौनीवि.बीसी.सं.282/07.01.279/2006-07; दिनांक 12 जुलाई 2006	निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के लिए मास्टर परिपत्र
58.	मौनीवि.बीसी.सं.284/07.01.279/2005-06; दिनांक 25 जुलाई 2006	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
59.	मौनीवि.बीसी.सं.287/07.01.279/2005-06; दिनांक 31 अक्टूबर 2006	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
60.	मौनीवि.बीसी.सं.289/07.01.279/2006-07; दिनांक 31 जनवरी 2007	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
61.	मौनीवि.बीसी.सं.290/07.01.279/2007-08; दिनांक 30 मार्च 2008	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
62.	मौनीवि.बीसी.सं.300/07.01.279/2007-08; दिनांक 11 जून 2008	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ

क्र.सं.	परिपत्र सं.	विषय
63.	मौनीवि.बीसी.सं.301/07.01.279/2007-08; दिनांक 29 जुलाई 2008	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
64.	मौनीवि.बीसी.सं.304/07.01.279/2007-08; दिनांक 24 जून 2008	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
65.	मौनीवि.बीसी.सं.305/07.01.279/2007-08; दिनांक 20 अक्तूबर 2008	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
66.	मौनीवि.बीसी.सं.308/07.01.279/2008-09; दिनांक 03 नवंबर 2008	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
67.	मौनीवि.बीसी.सं.313/07.01.279/2008-09; दिनांक 6 दिसंबर 2008	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
68.	मौनीवि.बीसी.सं.315/07.01.279/2008-09; दिनांक 2 जनवरी 2009	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
69.	मौनीवि.बीसी.सं.319/07.01.279/2008-09; दिनांक 2 जनवरी 2009	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
70.	मौनीवि.बीसी.सं.321/07.01.279/2008-09; दिनांक 21 अप्रैल 2009	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
71.	मौनीवि.बीसी.सं.328/07.01.279/2009-10; दिनांक 19 मार्च 2010	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
72.	मौनीवि.बीसी.सं.331/07.01.279/2009-10; दिनांक 20 अप्रैल 2010	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
73.	मौनीवि.बीसी.सं.333/07.01.279/2010-11; दिनांक 2 जुलाई 2010	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
74.	मौनीवि.बीसी.सं.335/07.01.279/2010-11; दिनांक 27 जुलाई 2010	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ

क्र.सं.	परिपत्र सं.	विषय
75.	मौनीवि.बीसी.सं.336/07.01.279/2010-11; दिनांक 16 सितंबर 2010	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
76.	मौनीवि.बीसी.सं.338/07.01.279/2010-11; दिनांक 2 नवंबर 2010	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
77.	मौनीवि.बीसी.सं.340/07.01.279/2010-11; दिनांक 25 जनवरी 2011	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
78.	मौनीवि.बीसी.सं.341/07.01.279/2010-11; दिनांक 17 मार्च 2011	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
79.	मौनीवि.बीसी.सं.343/07.01.279/2010-11; दिनांक 03 मई 2011	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
80.	मौनीवि.बीसी.सं. 344/07.01.279/2010-11 16 जून 2011	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
81.	मौनीवि.बीसी.सं. .345/07.01.279/2011-12; 01 जुलाई 2011	निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा संबंधी मास्टर परिपत्र
82.	मौनीवि.बीसी.सं. .347/07.01.279/2011-12; दिनांक 26 जुलाई 2011	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएं
83.	मौनीवि.बीसी.सं. .348/07.01.279/2011-12; दिनांक 16 सितंबर 2011	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएं
84.	मौनीवि.बीसी.सं. .350/07.01.279/2011-12; दिनांक 25 अक्टूबर 2011	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएं
85.	मौनीवि.बीसी.सं. .354/07.01.279/2011-12; दिनांक 17 अप्रैल 2012	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएं
86.	मौनीवि.बीसी.सं. .355/07.01.279/2011-12; दिनांक 18 जून, 2012	निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा (ईसीआर): रियायत